न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : — अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : — 115 / 2012

उनवान

छोटी बनाम सुजा वगै0

आवेदन पत्र वास्ते धारा 151 सी0पी0सी0 मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत

—: आदेश :— दिनांक :— 24.1.23

प्रतिवादी / प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण आदेश में नियत था। प्रकरण में बिना पक्षकारान / अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये मौका रिपोर्ट तलब की गयी है जो प्रतिवादी पक्षकार की मौजूदगी में तैयार नही की गयी है। प्रकरण के निष्पक्ष निर्णय हेतु पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

वादी / अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये थे। उभयपक्ष आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा बता रहे है। न्यायालय स्वयं द्वारा प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु मौका रिपोर्ट तलब की गयी है जिसमें कब्जे बाबत तथ्य अंकित है। उक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष तैयार की गयी है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से मौके पर कब्जे के तथ्य परिवर्तित नही होने है। अतः प्रकरण में पक्षकार की मौजूदगी में पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का कोई औचित्य सिद्व नही होता है। उकतानुसार प्रतिवादी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:40:10 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 115/2012

उनवान

1. छोटी पत्नी रेमता (तर्क)
2. काना पुत्र रेमता
3. नारायण पुत्र रेमता
4. गोपाल पुत्र रेमता

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. सूजा पुत्र नानू
2. रामदेव पुत्र नानू
3. गलकू पत्नी पांचू
4. हरी पुत्र पांचू
5. भंवरलाल पुत्र पांचू
6. सीता पुत्री पांचू
7. मुन्नी पुत्री पांचू समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
8 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू रा0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनॉक :– 02.02.23

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के वंर्किंग खसरा नम्बर 32 रकबा 2–4–0 हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी की है। वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त वले आ रहे है। उक्त आराजी पर नानू पुत्र सालू के स्थान पर रेंवता पुत्र घासी के नाम अंकन कने के आदेश दिनांक 31.1.86 को हुये। आराजी मुतनाजा का इन्द्राज भू प्रवन्ध विभाग द्वारा पुनः सही दर्ज किया गया। हाल जमाबंदी बनाते समय विना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने जवाब पेश कर [illegible] कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज नानू [illegible] राजस्व अभिलेख में [illegible] घासी के नाम अंकन प्रतिवादीगण की खातेदारी है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:40:10 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

करने के आदेश दिनांक 31.01.86 को हुये जिसको भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः सही दर्ज किया गया। नानू पुत्र सालू द्वारा भूमि का बैचान कभी भी रेमंता पुत्र घसासी को नही किया गया। दिनांक 31.1.86 को किसी भी न्यायालय द्वारा सा सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश नही दिया गया। वाद मियाद बाहर है तथा बिना वाद कारण के होने के कारण सव्यय खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया दावाकृत सम्पदा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

–– वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं नारायण के बयान दर्ज करवाये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही किये।

प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा आराजी मुतनाजा की मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने आर.आर. टी. 2021 पेज 1017 से 1018 की नजीर चस्पा की।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत तनकी का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 32 नानू पुत्र सालू के नाम दर्ज थी जो मिसल नम्बर 202/86 तारीख फैसला 31.1.86 से रेंमता पुत्र घासी के नाम दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज रेमंता के नाम दर्ज की गयी थी। भू प्रबन्ध विभाग को उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण अथवा रेमंता पुत्र घसी के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। आराजी मुतनाजा की मौका रिपोर्ट अनुसार भी वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज नही है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण में चस्पा पाई जाती है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.36 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खतेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:40:10 IST
Reason: SelfAttested